न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 59 / 2024	2024 / 115	30—10—2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री महेश कुमार पुत्र गोप सिंह, तीजकी चौकी के पास, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.09. 2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहगराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जाच हेतु श्री महेश कुमार पुत्र श्री गोप सिंह, तीजकी चौकी के पारा, अलवर की जोधपुर मिष्ठान भण्डार का गोदाग, रोड न० 2, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री महेश कुमार पुत्र श्री गोप सिंह, तीजकी चौकी के पास, अलवर उपस्थित गिले। श्री भगवान सिह पुत्र श्री नेतराग की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित गिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री महेश कुगार पुत्र श्री गोप सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री महेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गिर्राजधरण गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री चौतन्य मिश्रा पुत्र श्री सुधीर मिश्रा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया जाता है, जो भी जॉच की गई है वह गलत प्रकार से की गई है और गलत प्रकार से की गई जॉच की गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। मिन अप्रार्थी के द्वारा अपने व अपने सगे मामाजी के घरेलू गैस कनेक्शन के सिलेण्डरों की डिलिवरी घर पर नहीं होने के कारण उसको अपने उक्त गोदाम पर ही मंगवाने के लिए गोदाम पर रख लिया था, उक्त तीनों सिलेण्डर खाली थे। जिससे उक्त तीनों सिलेण्डरों का कोई कोई दुरूपयोग नहीं किया गया था। जिसके बारे में मिन अप्रार्थी के द्वारा जॉच अधिकारी को भी बता दिया गया था, लेकिन गलत प्रकार से जाँच की गई है।

अ० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

मिन अप्रार्थी के द्वारा किसी भी गैस सिलेण्डर को अवैध संग्रहित नहीं किया गया था व ना ही व्यवसायिक उपयोग में लिया गया था व ना ही किसी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लघंन किया गया था, जबकि उक्त तीनों गैस सिलेण्डर मिन अप्रार्थी व उसके सगे मामाजी के हैं, जिनको घरेलू उपयोग के लिए मंगवाने के लिए गोदाम पर अलग से रखे हुऐ थे, जिसका उपयोग नहीं किया गया था। जबकि उक्त गोदाम पर स्टीम भट्टी का उपयोग किया जाता है और अन्य कार्य भी स्टीम भट्टी पर किया जाता है। वक्त जाँच समस्त तथ्य बता दिये गये थे, लेकिन जाँच अधिकारी के द्वारा सही तथ्यों एवं बताये गये तथ्यों पर ध्यान ना देकर गलत प्रकार से जॉच करते हुए श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। इसलिए उक्त नोटिस के भार से मिन अप्रार्थी उत्तरदाता को मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी को उक्त नोटिस के भार से मुक्त किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री भगवान सिह पुत्र श्री नेतराग की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित गिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री महेश कुगार सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री महेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)